

		प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनियमित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन सफ़रक द्वारा इस्तेमाल किया जाय)	(v)
संगन है।		प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनियमित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन सफ़रक द्वारा इस्तेमाल किया जाय)	(iv)
रहित की जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ- इमली, नीम, आम, जामुन		समय अनुसूची लागू होना चाहिए। वनीकरण के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी	(iii)
संगन है।		प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनियमित क्षेत्र/अवधिक वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं का दर्शाता सूच।	(ii)
प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पास 63 एवं 64 में बिकगाड बनाकर पौधरोपण किया जाएगा।		आकार। दूरी, मू-खण्डों की संख्या प्रत्येक मू-खण्ड का क्षेत्र/अवनत वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनियमित वनतर	(i)
		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	10
नहीं। अधिनियम के उल्लंघन से कोई कार्य नहीं किया गया है।		यथा अधिनियम के उल्लंघन से कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	9
अपरिहार्य एवं न्यूनतम।		प्रयुक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1, कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संरचित क्षेत्र क्या है ?	8
नहीं		अपेक्षित हो दें। प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में क्या कोई संरक्षित पुरातात्विक/पारंपरिक स्थल/रक्षा	(xii)
नहीं		यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजगत की	(xi)